PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2643023 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 284/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/आई0आर0–2 दिनांकः 04.03.2020

विषयः अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हड़ताल/कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में।

अतिआवश्यक

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/
अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक/
अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल,.....................।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 92/XXX(2)/2020–04 का0–2/13 दिनांक 02.03.2020 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि उत्तराखण्ड जनरल–ओ0बी0सी0 इम्प्लाइज एसोसिएशन के पत्र दिनांक 22.02.2020 द्वारा दिनांक 02.03.2020 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल/आन्दोलन कार्यक्रम हेतु जिस कार्मिक द्वारा अवकाश लिया जायेगा/अनिश्चितकालीन हड़ताल /आन्दोलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा, उनको स्वतः अनुपस्थित मानते हुए अनुपस्थिति अवधि का वेतन आहरित न किया जाये तथा उक्त कार्मिकों पर **कार्य नहीं तो वेतन नहीं** का आदेश लागू किया जाये।

इस सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि पिटकुल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी दिनांक 05.03.2020 से उत्तराखण्ड जनरल–ओ0बी0सी0 इम्प्लाइज एसोसिएशन द्वारा घोषित अनिश्चितकालीन हड़ताल /आन्दोलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा, जबकि राज्य के सम्मानित उपभोक्ताओं को निरन्तर बाधा रहित विद्युत आपूर्ति प्रदान करना हम सबका नैतिक दायित्व है।

अतः शासन द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल /आन्दोलन कार्यक्रम/कार्य बहिष्कार की अवधि में किसी भी कार्मिक को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

चूंकि कारपोरेशन का कार्य अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत आता है तथा कारपोरेशन में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के प्राविधान लागू होते हैं, जिस हेतु शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में आप अपने नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों को यह भी अवगत करा दें कि उक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल /आन्दोलन कार्यक्रम/कार्य बहिष्कार में प्रतिभाग करने वाले कार्मिकों पर **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** का सिद्धान्त लागू करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वंय उत्तरदायी होंगें।

साथ ही यह भी अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों की सूचना प्रत्येक दिवस में प्रातः 10:30 बजे तक ई–मेल hr@ptcul.org पर उपलब्ध कराने का कष्ट करेगें।

इसके अतिरिक्त अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक कार्मिक की समय–समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगें कि उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है अथवा अनिश्चितकालीन हड़ताल /आन्दोलन कार्यक्रम/कार्य बहिष्कार की अवधि में प्रतिभाग किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो एवं कारपोरेशन में औद्योगिक शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे।

संलग्नक : यथोपरि।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक(मा0सं0)

पत्रांकः 284/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ आई0आर0–2, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, पिटकूल, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र को कारपोरेशन की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पी0सी0 ध्यानी)
निदेशक(मा0सं0)

AS(R2) Energy

संख्या: 92 /XXX(2)/2020-04 का0-2/13

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

05/03/2020 (राधिका झा)
सचिव,
मा. मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक, समस्त निगम/संस्थान, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 02 ~~फरवरी~~ मार्च, 2020

विषयः अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों द्वारा हड़ताल/कार्य बहिष्कार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में प्रायः हड़ताल/कार्य बहिष्कार किए जाते हैं, जिससे जहां एक ओर जन सामान्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वहीं शासन द्वारा संचालित योजनाओं के कियान्वयन में विलम्ब होता है। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है।

2- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 04/XXX(2)/2013 दिनांक 08 जनवरी 2013, संख्या 265/XXX(2)/ 2018-04 का-2/13 दिनांक 27 अगस्त 2018, संख्या 280/XXX (2)/2018 /04/ का0-2/13 दिनांक 13 दिसम्बर 2018, संख्या 42/XXX(2)/2019-04 का0-2/13 दिनांक 28 जनवरी, 2019 एवं संख्या 45/XXX(2)/2019-04 का0-2/13 दिनांक 29 जनवरी, 2019 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेशों द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड जनरल-ओ0बी0सी0 इम्प्लाईज एसोसिएशन के पत्र दिनांक 22.02.2020 द्वारा दिनांक 02.03.2020 से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल/आन्दोलन कार्यकम हेतु जिस कार्मिक द्वारा अवकाश लिया जायेगा/अनिश्चितकालीन हड़ताल/आन्दोलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा, उनको स्वतः अनुपस्थित मानते हुए अनुपस्थित अवधि का वेतन आहरित न किया जाय तथा उक्त कार्मिकों पर **कार्य नहीं तो वेतन नहीं** का आदेश लागू किया जाय। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।